यूको बैंक UCO BANK

शाखा कार्यालय : सेक्टर-1, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
फोन : 0788-2221244, ई-मेल : bhilai@ucobank.co.in

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस ।

आम लोगों को तथा विशेष रुप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का कब्जा प्रतिभूत लेनदार यूको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर 30.07.2021 को 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक बकाया राशि की वसूली के लिए बेचा जाएगा । आरक्षित मूल्य एवं अन्य विवरण नीचे दिए गए हैं ।

बोली प्रस्तुत करने की अंतिम समय नीलामी के 2 घंटे पूर्व सुनिश्चित की गई है । ई-नीलामी की तिथि व समय- 30.07.2021 को सुबह 11.00 बजे से उपरान्ह 2.00 बजे तक प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ ।

क्र.	शाखा का नाम आईएफएससी कोड नं. दूरभाष नं. ईमेल	ऋणी एवं गारंटर का नाम	बकाया राशि	मांग सूचना की तिथि व कब्जा सूचना तिथि	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य बयाना राशि न्यूनतम मूल्य वृद्धि	संपत्ति निरीक्षण दिनांक व संपर्क व्यक्ति
1.	सेक्टर-1, भिलाई शाखा आईएफएससी UCBA0000125 खाता सं. 01250210000571 दूरभाष : 0788-2221244 ई-मेल : bhilai@ucobank.co.in	मेसर्स सिम्पलेक्स मेटल्स श्री हेमंत आर शाह श्रीमती शीला शाह श्रीमती चंचल बेन शाह	₹ 1,45,37,287/- + अतिरिक्त ब्याज एवं अन्य खर्च	16.12.2019 19.02.2020 सांकेतिक कब्जा	प्लॉट नं. 28, प.ह.नं. 663, पर फैक्टी की जमीन और भवन, खसरा नं. 289/5, सम्मिलित खसरा नं. 290/1, 291/1, 292/1, 311/1 टेडेसरा औद्योगिक क्षेत्र, राजनांदगांव (छ.ग.), क्षेत्रफल 0.882 एकड़ में स्थित भवन व भूमि के समस्त भाग तथा अंश । प्लांट व मशीनरी- उपरोक्त पते पर श्रेणी में ।	80.30 लाख 8.03 लाख 25000 46.45 लाख 4.645 लाख 25000	23.07.2021 को सुबह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे के बीच श्री सौरभ श्रीवास्तव, मुख्य प्रबंधक के माध्यम से सम्पर्क मो. 9644050800
2.	सेक्टर-1, भिलाई शाखा आईएफएससी UCBA0000125 खाता सं. 01250210000571 दूरभाष : 0788-2221244 ई-मेल : bhilai@ucobank.co.in	श्रीमती सुजाता सिंह व श्री वीरचन्द्र सिंह	₹ 18,98,257/- + अतिरिक्त ब्याज एवं अन्य खर्च	01.08.2018 01.02.2019 सांकेतिक कब्जा	भूमि का क्षेत्रफल 1680 वर्गफिट, निर्मित क्षेत्रफल जीएफ 859 वर्गफिट, एफएफ 292 वर्गफीट, खसरा नं. 503/20, वार्ड नं. 39, खण्डेलवाल कालोनी के पास, कसारीडीह, कचहरी वार्ड, दुर्ग (छ.ग.) में स्थित भवन व भूमि के समस्त भाग तथा अंश ।	22.85 लाख 2.285 लाख 25000	23.07.2021 को सुबह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे के बीच श्री सौरभ श्रीवास्तव, मुख्य प्रबंधक के माध्यम से सम्पर्क मो. 9644050800
3.	सेक्टर-1, भिलाई शाखा आईएफएससी UCBA0000125 खाता सं. 01250210000571 दूरभाष : 0788-2221244 ई-मेल : bhilai@ucobank.co.in	श्री संतोष कुमार साहू व श्री मेंकल साहू	₹ 21,03,810/- + अतिरिक्त ब्याज एवं अन्य खर्च	16.03.2019 25.05.2019 सांकेतिक कब्जा	भूमि का क्षेत्रफल 1085.85 वर्गफिट, डुप्लेक्स रो मकान नं. 13, खसरा नं. 261/4 व 261/5 का भाग, स्वप्न शिल्प परिसर, रावतपुरा सरकार कॉलेज के पास, जांजगीरी, कुम्हारी, जिला- दुर्ग (छ.ग.) में स्थित भवन व भूमि के समस्त भाग तथा अंश	23.00 लाख 2.3 लाख 25000	23.07.2021 को सुबह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे के बीच श्री सौरभ श्रीवास्तव, मुख्य प्रबंधक के माध्यम से सम्पर्क मो. 9644050800
4.	सेक्टर-1, भिलाई शाखा आईएफएससी UCBA0000125 खाता सं. 01250210000571 दूरभाष : 0788-2221244 ई-मेल : bhilai@ucobank.co.in	श्री विवेक मिश्रा व श्री राज किशोर मिश्रा	₹ 7,03,457/- + अतिरिक्त ब्याज एवं अन्य खर्च	11.11.2019 20.10.2020 सांकेतिक कब्जा	भूमि का क्षेत्रफल 1800 वर्गफिट, निर्मित क्षेत्रफल भूतल- 1132 वर्गफीट, प्रथम तल- 933 वर्गफिट प्लॉट नं. 15 पर मकान, खसरा नं. 1572/177, वार्ड नं. 16, कैलाश नगर, कुरुद, भिलाई (छ.ग.) में स्थित भवन व भूमि के समस्त भाग तथा अंश ।	28.75 लाख 2.875 लाख 25000	23.07.2021 को सुबह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे के बीच श्री सौरभ श्रीवास्तव, मुख्य प्रबंधक के माध्यम से सम्पर्क मो. 9644050800
5.	सेक्टर-1, भिलाई शाखा आईएफएससी UCBA0000125 खाता सं. 01250210000571 दूरभाष : 0788-2221244 ई-मेल : bhilai@ucobank.co.in	श्रीमती मंजुषा रोजिन्दर, श्री मयंक रोजिन्दर व श्री इशान रोजिन्दर	₹ 81,31,930.14 + अतिरिक्त ब्याज एवं अन्य खर्च	04.01.2021 17.03.2021 सांकेतिक कब्जा	प्लॉट नं. 14, ब्लॉक नं. 25, मोतीलाल नेहरु नगर (पश्चिम), भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) भूमि का क्षेत्रफल 3389.40 वर्गफिट, निर्मित क्षेत्रफल भूतल- 1611 वर्गफिट, प्रथम तल- 1611 वर्गफिट में स्थित भवन व भूमि के समस्त भाग तथा अंश ।	125.40 लाख 12.54 लाख 25000	23.07.2021 को सुबह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे के बीच श्री सौरभ श्रीवास्तव, मुख्य प्रबंधक के माध्यम से सम्पर्क मो. 9644050800

अन्य प्रभार/सरकारी बकाया/भार : की जानकारी नहीं है

नियम व शर्तें : 1. प्रतिभूत आस्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी। 2. उपर्युक्त संपत्ति का नीलामी विक्रय उपर्युक्त समय के अनुसार 30.07.2021 को 11.00 पूर्वान्ह से 02.00 अपरान्ह के बीच प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ वेबसाइट https://mstcecommerce.com के माध्यम से "ऑनलाइन ई-नीलामी" / बोली होगी। 3. इच्छुक बोली लगानेवाले (बोलीदाता) को पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अपेक्षित होगा, यह ई-बोली के लिए अनिवार्य है। 4. इच्छुक बोली लगाने वाले (बोलीदाता) को सूचित किया जाता है कि अपनी बोली प्रस्तुत करने एवं ई-नीलामी विक्रय कार्यवाही में भाग लेने से पूर्व नीलामी विक्रय के विस्तृत शर्त एवं निबंधनों के लिए वेबसाइट https://mstcecommerce.com का अवलोकन करें। 5. बोली संबद्ध विवरणों के साथ विहित प्रपत्र में केवल ऑन लाइन माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे। 6. उपर्युक्त संपत्ति के लिए बयाना जमा राशि आरटीजीएस/एनईएफटी निधि अन्तरण के माध्यम से कॉलम (2) में वर्णित खाता संख्या में जमा किए जाएंगे या प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक के पक्ष में एवं भिलाई में देय बैंक ड्राफ्ट/भुगतान आदेश के माध्यम से 29.07.2021 के अपरान्ह 4.00 बजे से पूर्व जमा किए जाएँ। संपत्ति से संबन्धित किसी प्रकार की जानकारी के लिए श्री सौरभ श्रीवास्तव , मुख्य प्रबंधक, यूको बैंक, सेक्टर-1, भिलाई मो. 9644050800 से संपर्क किया जा सकता है। 7. ऑनलाइन प्रस्तुत बोली फॉर्म की प्रति (यूटीआर के साथ) प्राधिकृत अधिकारी/शाखा प्रमुख, सेक्टर-1, शाखाः भिलाई (छ.ग.) को प्रस्तुत किया जाए या इसकी सॉफ्ट प्रति bhilai@ucobank.co.in. पर अग्रेषित की जाए। 8. बोली की कीमत न्यूनतम आरक्षित मूल्य के बराबर या इससे अधिक होनी चाहिए, यह किन्तु 25,000/- (पच्चीस हजार रु. मात्र) के गुणज में अवश्य हो। कृपया नोट करें कि सिस्टम में जो प्रथम ऑनलाइन बोली आती है, ऑनलाइन अगली नीलामी, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त उच्चतम बोली से एक वृद्धि अधिक होगी अर्थात् प्रारंभिक बोली से एक वृद्धि अधिक होगी या प्रारंभिक कीमत से वृद्धि के गुणजों में अधिक होगी । नीलामी के दौरान बाद की बोली आने पर एच 1 दर एक वृद्धि मूल्य/उसके गुणजों से अधिक होगी । 9. सफल बोली लगाने वाले (बोलीदाता) को बोली राशि (पहले ही प्रदत्त बायाना जमा राशि सहित) का 25% ई-नीलामी विक्रय प्रक्रिया समाप्त होने के बाद विक्रय के दिन खंड 6 में निर्धारित तरीके से जमा करना होगा। विक्रय कीमत का शेष 75% भाग सफल बोली लगाने वाले को अधोहस्ताक्षरी द्वारा बिक्री की स्वीकृति/पुष्टि करने के 15 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा । 10. उपर्युक्त निर्धारित समय के अनुसार बोली लगाने वाले (बोलीदाता) द्वारा बोली की राशि जमा करने में विफल रहने पर बोली लगाने वाले (बोलीदाता) द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी । 11. असफल बोली लगाने वाले (वालों) की बयाना जमा राशि ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही समाप्त होने के बाद वापस कर दी जाएगी । 12. विक्रय बैंक की पुष्टि के अध्यधीन है । यदि उधारकर्ता/गारंटीकर्ता विक्रय की तिथि के पूर्व बकाया राशि का पूर्ण भुगतान करता है तो कोई विक्रय नहीं किया जाएगा । 13. इच्छुक बोली लगाने वाले को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व बैंक प्रभार के अतिरिक्त किसी प्राधिकारी से संपत्ति के संबंध में विस्तृत जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए एवं संपत्ति के स्वत्व, विस्तार, गुणवत्ता एवं मात्रा आदि के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट हो जाना चाहिए। विक्रय के लिए प्रस्तुत संपत्ति के संबंध में संपत्ति पर प्रभार, ऋण भार आदि किसी संबंध में आपत्ति ऑनलाइन बोली प्रस्तुत के बाद स्वीकार नहीं की जाएगी । 14. बिना कारण बताये तथा बिना पूर्व सूचना के बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने, विक्रय को स्थगित/निरस्त/विक्रय के निबंधनों एवं शर्तों को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार एवं विवेक अधिहस्ताक्षरी के पास है। 15. क्रेता स्टॉम्प ड्यूटी, विक्रय प्रमाण पत्र पंजीकरण प्रभार सहित सभी प्रभार, सरकार को भुगतान किए जाने वाले सभी प्रकार के सांविधिक शुल्क, कर, संपत्ति से संबंधित वर्तमान एवं भविष्य दोनों के सभी निवर्तमान खर्चों आदि का भार वहन करेगा । विक्रय प्रमाण पत्र केवल सफल बोली लगाने वाले के नाम में जारी किया जाएगा । 16. विक्रय सरफेसी अधिनियम/नियम 2002 में निर्धारित एवं उपर्युक्त शर्तों के अधीन होगा । 17. एक बोली लगाने वाला (बोलीदाता) होने की स्थिति में बोली फार्म में उद्धृत बोली राशि में न्यूनतम 1 बोली वृद्धि मूल्य की बढ़ोतरी करनी होगी, अन्यथा विक्रय निरस्त/स्थगित किया जाएगा । 18. विक्रय के विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के लिए कृपया https://ibapi.in. में उपलब्ध लिंक देखें । यह प्रकाशन उपर्युक्त उधारकर्ताओं/गारंटीकर्ताओं/बंधककर्ताओं को 30 दिनों की नोटिस भी है ।

विवाद की स्थिति में दिनांक 25.06.2021 का अंग्रेजी अखबार "द हितवाद" रायपुर संस्करण में प्रकाशित विज्ञापन मान्य होगा।

दिनांकः 24.06.2021 स्थानः भिलाई (छ.ग.)

प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक, सेक्टर-1, शाखाः भिलाई (छ.ग.)